



अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान,
नारेली तीर्थ के पास, बडलिया चौराहा, अजमेर

www.ecajmer.ac.in
email : principal@ecajmer.ac.in

Telefax: 0145-


पत्रांक/अमअ/लेखा /2020/1205

दिनांक : 06/02/2020

आवश्यक सूचना


वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय की अनुमानित गणना प्रपत्र आयकर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

1. अतः सभी संकाय सदस्यों / स्टाफ को अनुमानित आय गणना प्रपत्र मय धारा 80 सी में छूट हेतु दस्तावेजोंकी प्रति / आदि निवेश किया जा चुका हो को पूर्णकर दिनांक 15.02.2020 तक आवश्यक रूप से लेखाशाखा में उचित माध्यम से जमा करवा दे । आय विवरण पत्र समय पर प्राप्त नहीं होने पर लेखाशाखा द्वारा सीधे वेतन से आयकर की कटौती कर दी जायेगी , जिसका उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक का होगा ।
2. आयकर की धारा 80 जी व 89 (i) के अर्न्तगत छूट के लाभ के संबंध में महाविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा । कर्मचारी स्वयं के स्तर पर आयकर विवरणी भरकर आयकर विभाग से छूट प्राप्त करे ।
3. मकान किराया भत्ता में आयकर छूट के लिए अजमेर नगर निगम क्षेत्र का किरायानामा / किराया रसीद मय मकानमालिक का PAN कार्ड प्रस्तुत करे ।
4. अनुमानित आय में आयकर विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार आय शामिल की जावे । अन्य आय सम्बन्धी सूचना आयकर विभाग के निर्देशानुसार देय होगी
5. कार्मिक द्वारा आय सम्बन्धी किसी भी प्रकार के तथ्य छुपाने पर किसी भी भावी कार्यवाही कार्यवाही के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे ।


उप कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य , अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर ।
2. वेब मास्टर ।
3. रक्षक पत्रावली ।
4. कार्यालय प्रति ।


उप कुलसचिव